

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2021—आषाढ़ 21, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2022

क्र. 10-627-141-इक्कीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ५ सन् २०२२

## मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १२ जुलाई, २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक २३ सन्  
१९५६ और  
अधिनियम क्रमांक  
३७ सन् १९६१ का  
अस्थायी रूप से  
संशोधित किया  
जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) धारा ३ और ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे.

भाग-एक

## मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश  
अधिनियम क्रमांक  
२३ सन्  
१९५६ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा १० में, उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु किसी भी नगरपालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के दो माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जिसमें असफल होने पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा.”

(२) धारा १८ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

(३) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, कलक्टर द्वारा बुलाया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता कलक्टर द्वारा की जाएगी. पीठासीन अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में, परिणाम का विनिश्चय, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, लॉट द्वारा किया जाएगा.”

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १९६१ ) का संशोधन

४. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १९६१ ) में,—

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक ३७ सन्  
१९६१ का संशोधन.

(१) धारा २९ में, उपधारा (४) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु किसी भी नगरपालिका के कार्यकाल की पूर्णता के दो माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जिसमें असफल होने पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा:”.

(२) धारा ३४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, अंक तथा शब्द “२५ वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “२१ वर्ष” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

(३) धारा ३५ में, खण्ड (घ घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(घ घ) अध्यक्ष तथा पार्षद की दशा में आयु २१ वर्ष से कम हो;”.

(४) धारा ४३ में, उपधारा (१) में, शब्द “राज्य निर्वाचन आयोग” के स्थान पर, शब्द “कलक्टर” स्थापित किया जाए.

(५) धारा ५५ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) कलक्टर, धारा ४५ के अधीन पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मेलन बुलाएगा.”.

भोपाल :  
तारीख ११ जुलाई, २०२२

मंगुभाई छ. पटेल  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2022

क्र. 10627-141-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 5 OF 2022

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (DWITIYA SANSHODHAN)  
ADHYADESH, 2022[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12<sup>th</sup> July, 2022.]

Promulgated by the Governor in the seventy third year of the Republic of India.

**An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.**

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2022.

Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956 and Act No. 37 of 1961 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) shall have effect subject to the amendments specified in sections 3 and 4.

## PART—I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION  
ACT, 1956 (No. 23 of 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

3. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),—

(1) In Section 10, in sub-section (4), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the process of inclusion or exclusion of area reformation of wards shall be completed two months before the completion of the tenure of any Municipal Corporation failing which the State Election Commission may start electoral process on the basis of prevailing delimitation."

(2) In Section 18, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) The meeting under sub-section (1) shall be called by the Collector, and the same shall be presided over by the Collector. The presiding officer shall not have the right to vote and in case of equality of votes the result shall be decided by lot in such manner as may be prescribed."

PART—II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961  
(No. 37 OF 1961)

4. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—

**Amendment to  
the Madhya  
Pradesh Act No.  
37 of 1961.**

(1) In Section 29, in sub-section (4), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that the process of inclusion or exclusion of area or reformation of wards shall be completed two months before the completion of tenure of any Municipal Council failing which the State Election Commission may start electoral process on the basis of prevailing delimitation.”.

(2) In Section 34,—

(i) in sub-section (1), in clause (a), for the figure and word “25 years”, the figure and word “21 years” shall be substituted;

(ii) sub-section (4) shall be deleted.

(3) In Section 35, for clause (dd), the following clause shall be substituted, namely:—

“(dd) is less than twenty one years of age, in case of President and Councillor;”.

(4) In section 43, in sub-section (1), for the words “State Election Commission”, the word “Collector” shall be substituted.

(5) In Section 55, for sub section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) The Collector shall, within fifteen days from the date of notification of election of Councillors under section 45, call a meeting of the elected Councillors for the purpose of electing a President and a Vice-President.”.

Bhopal :  
Dated the 11<sup>th</sup> July, 2022

MANGUBHAI C. PATEL  
Governor,  
Madhya Pradesh.